HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

ORDER

S.B.Criminal Miscellaneous 2nd Bail No. 2485/ 2018

Mahadevi W/o Shri Siriya @ Shriram, B/c Gurjar, R/o Village Chicharbari, P.S. Kama, District- Bharatpur (raj.) (presently in District Sever)

----Accused/Petitioner

Versus

State of Rajasthan Through P.P.

----Respondent

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश दिनांकः 23.02.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा

श्री अनुपम शर्मा, अधिवक्ता– प्रार्थी की ओर से।
श्री जीतेन्द्र श्रीमाली, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।
श्री प्रदीप माथुर, अधिवक्ता–परिवादी की ओर से।

अभियुक्त–प्रार्थी ने अपनी जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन पुलिस थाना–कांमा, जिला–भरतपुर में पंजीबद्ध की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 546/2016 अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 332, 353 तथा 307 भा.दं.सं. के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थिया का पहला जमानत आवेदन दिनांक 10.04.2017 को अस्वीकार किया गया था। उसके बाद प्रकरण के दो महत्वपूर्ण साक्षी पूरणसिंह तथा ललिता के कथन लेखबद्ध हो चुके हैं, जिन्होंने प्रार्थीया का नाम नहीं बताया है। प्रार्थीया इस प्रकरण में दिनांक 05.10.2016 से अभिरक्षा में है तथा प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण होकर उसका विचारण चल रहा है। प्रार्थीया वृद्ध महिला है तथा उसकी उम्र 78 वर्ष है। अतः प्रार्थीया को जमानत की सुविधा का लाभ दिया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक तथा अधिवक्ता परिवादी ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

चूंकि समान परिस्थितियों में प्रकरण के सह–अभियुक्तगण राजेन्द्र तथा लाखन के जमानत आवेदन स्वीकार किये जा चुके हैं। प्रार्थीया के बारे में साक्षी पूरणसिह तथा ललिता ने कोई आरोप नहीं लगाया है। प्रार्थीया वृद्ध महिला है।

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी सामग्री को दृष्टिगत रखते हुए, मैं प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई अन्तिम राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त–प्रार्थीया को धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित पाता हूं।

अतः अभियुक्त–प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत यह जमानत का द्वितीय प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त–प्रार्थीया महादेवी पत्नी सीरिया उर्फ श्रीराम द्वारा रूपये **1,00,000/– (एक लाख रूपये मात्र)** का स्वयं का बंध पत्र तथा रूपये **50,000/– – 50,000/– (पचास–पचास हजार रूपये मात्र)** रूपये की दो प्रतिभूति विचारण न्यायालय की सन्तुष्टि की पेश की जावे, तो उसे **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 546/2016 पुलिस थाना–कांमा, जिला–भरतपुर** से सम्बन्धित प्रकरण में इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावे कि वह प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा बुलाये जाने पर उपस्थित होती रहेगी।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति

मित्तल/85